विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II/2020/282 दिनांकः 19/03/2020

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय (Clerk Grade-II) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2020

1- राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) [Rajasthan High Court Staff Service Rules, 2002] (As amended) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) [Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986] (As amended) के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistant), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय (Clerk Grade-II) के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Applications) आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार दो वर्ष की अवधि तक रूपये 14,600/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में रहेंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-5 के अनुसार पे–स्केल रू. 20,800–65,900/– संदेय होगा।

विशेष नोटः–

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाए अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2- **रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण (Number of Vacancies & Reservation) :–**

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) में कनिष्ठ सहायक तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–द्वितीय की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण, जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं वर्गवार निम्न संलग्नानुसार हैं :–

A. राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायकः– संलग्नक – 1

B. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय :– संलग्नक – 2

C. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक :– संलग्नक – 3

D. जिला न्यायालयों हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीयः–
   i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– संलग्नक – 4
   ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– संलग्नक – 5

E. जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालतों सहित) हेतु कनिष्ठ सहायक :–
   i. गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP Area) :– संलग्नक – 6
   ii. अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) :– संलग्नक – 7

नोटः–

i. उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

19.3.2020

<u>विस्तृत विज्ञापन</u>

ii. अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार चयन सूची तैयार करते समय विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त (suitable) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार रिजर्व सूची भी तैयार की जा सकेगी।

3- <u>अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) हेतु आरक्षित पदों के सन्दर्भ में</u> :–

i. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय उप आयोजना क्षेत्रों (TSP Areas) के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किये गये अनुसूचित जनजातीय उप आयोजना कार्यक्रम के अनुसार होगा।

ii. जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक आबूरोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं आबूरोड़ हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जायेगा।

iii. इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद अनुसूचित जाति एवं 45% पद अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का, योग्यता के आधार पर वरीयता के क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जा सकेगी।

v. "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

(क) 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है;

(ख) यदि उसका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उसके माता–पिता 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं और वह अपने जन्म से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है; या

(ग) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्धित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।

4- <u>विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में</u>:–

i. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Compartmentalized Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

ii. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–

(अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित प्रवर्ग (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

(ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार <u>(Appropriate Government)</u> द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी <u>(Authorized Certifying Authority)</u> द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र <u>(Certificate of Disability)</u> प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sports Persons) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–

(अ) "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें राज्य के ऐसे खिलाड़ी सम्मिलित हैं, जिन्होनें–

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो; या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो; या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

(ब) उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

19.3.2020

iv. भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) एवं राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

vi. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

vii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (Income & Assets Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

viii. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

ix. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

x. विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

xi. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

<u>महत्वपूर्ण नोट (**Important Notes**):–</u>

- चयन हेतु सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर परीक्षा (गति एवं दक्षता परीक्षा) में अर्जित कुल प्राप्तांकों (Total Aggregate Marks) के आधार पर संस्थानुसार <u>(Institute-wise)</u>, निम्न वरीयता क्रम में तैयार की जायेगी :

  प्रथम वरीयता :– राजस्थान उच्च न्यायालय

  द्वितीय वरीयता :– राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी

  तृतीय वरीयता :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

  चतुर्थ वरीयता :– जिला न्यायालय

  पंचम वरीयता :– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालत सहित)

- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा।
- गैर–अनुसूचित क्षेत्रों (Non-TSP Areas) के आवेदक, जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Areas) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे।
- राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरूद्ध चयन के पश्चात् शेष रिक्तियों हेतु सफल अभ्यर्थियों की जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्ति हेतु अनुशंसा, यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी, जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी।
- प्राथमिकतानुसार पांच जिला न्यायक्षेत्रों में चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी का नाम किसी भी जिला न्यायक्षेत्र में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर सकेगा, जिसमें वह उचित समझे।
- जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के उसी सम्बन्धित अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के आवेदक, ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें।

19.3.2020

- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर–अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर–अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में, उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के निवासी आवेदक, किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे।
- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तियां नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है।

5- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

6- **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)**:–

A candidate for direct recruitment:

1. **must be a graduate** of any University established by law in India or equivalent examination from any University recognized by the Government for the purpose and ;
2. must have basic knowledge of Computer.

7- **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness)** :–

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8- **राष्ट्रीयता (Nationality)**:–

सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का नागरिक हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो :

परन्तुक– प्रवर्ग (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी, वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

9- **आयु (Age)**:–

A candidate for direct recruitment to the Service must have attained the age of **18 years** and must not have attained the age of **40 years**, on the first day of January next following **(01.01.2021)** the last date fixed for receipt of the application. PROVIDED that:

(1) the upper age limit shall be **relaxed by 5 years** in case of the member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Classes or More Backward Classes or Women candidates;
(2) there shall be no age limit in case of Widow and Divorcee women candidate;
(3) the upper age limit for the reservists, namely defence services personnel transferred to the reserve shall be 50 years.
(4) The age relaxation for persons with disabilities will be admissible as applicable in the State Government from time to time.
(5) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner, who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
(6) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex- prisoner, who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
(7) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of **Cadet instructors** and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
(8) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after released from the Army shall be deemed to be within the age limit, even

19.3.2020

though they have crossed the age limit, when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

स्पष्टीकरण – अन्तिम बार कनिष्ठ न्यायिक सहायक की भर्ती वर्ष 2015 में एवं कनिष्ठ लिपिक की भर्ती वर्ष 2017 में आयोजित की गयी थी। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं।

10- **चरित्र (Character):–**

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके सम्बन्धी ना हों।

11- **परीक्षा शुल्क (Examination Fee):–**

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:–

सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक/ दिव्यांगजन
रूपये 500/–	**रूपये 350/–**

12- **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee):–**

परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया गया हो। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के एक माह के भीतर पेश कर दिया जाये।

13- **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment):–**

(1) No male or female candidate, who has more than one wife/husband living, shall be eligible for appointment to the service.

(2) No female candidate, who is married to a person having already a wife living, shall be eligible for appointment.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had at the time of his/her marriage accepted any dowry.
Note: - For the purpose of this rule dowry has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act 28 of 1961)

(4) No candidate shall be eligible for appointment, if he has more than two children on/or after the commencement of these rules.

Provided that the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as number of children he/she has on the date of commencement of this rule does not increase.

Provided further that where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

EXPLANATION: For the purpose of this sub rule, child born within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

"Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted."

विशेष नोटः– अभ्यर्थी के, वरीयतानुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चयन हेतु पात्रता के लिए दो से अधिक

19.3.2020

सन्तान होने की निर्योग्यता के नियम के प्रयोज्य होने की तिथि दिनांक 29.09.2005 तथा जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में चयन हेतु दिनांक 06.07.2010 समझी जायेगी।

14- परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):–

The competitive examination shall be held to test the ability of the candidate in the following subjects and each subject will carry the number of marks shown as under:-

(a) SECTION-A

(1) Written Test:

The Written Test shall consist of one paper of 300 marks comprising of:-

S.No.	Paper Name	Max Marks	Min. Marks		Duration
			For SC/ST & PH candidates	For other candidates	
1	Part-A Hindi	100	120	135	2 Hours
2	Part-B English	100			
3	Part-C General Knowledge	100			

(2) लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Written Test) :-

i. Each Part shall have 50 Multiple Choice Questions bearing two marks for each question.

ii. Written test will be conducted through OMR answer sheet.

iii. There shall be no negative marking for wrong answers in the Written Test.

(3) **Syllabus** for Written Test shall be as under:

1. हिन्दी
   1. संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद
   2. समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना
   3. उपसर्ग
   4. प्रत्यय
   5. पर्यायवाची शब्द
   6. विपरीतार्थक (विलोम) शब्द
   7. अनेकार्थक शब्द
   8. शब्द–युग्म/समश्रुत शब्द
   9. शब्द–शुद्धि
   10. वाक्य–शुद्धि
   11. वाच्य
   12. वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द
   13. मुहावरे और लोकोक्तियां

2- English

1- Improvement of sentences
2- Tenses/Sequences of Tenses
3- Voice : Active & Passive
4- Narration : Direct and Indirect
5- Transformation of Sentences : Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa
6- Use of Articles, Determiners and Prepositions
7- Correction of sentences including subject, verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.
8- Synonyms and Antonyms
9- One word substitutions
10- Prefixes and Suffixes
11- Confusable Words
12- Idioms & Phrases

3- General Knowledge

1- Current Affairs
2- Geography and Natural Resources
3- History and Culture of Rajasthan

19.3.2020

(b) SECTION-B

(1) Type-Writing Test on Computer

The Computer Test (Speed and Efficiency Test) shall consist of two papers :-

S. No.	Paper	Language	Duration	Max. Marks	Min. Marks	
					for SC,ST & PH candidates	for other candidates
1	Paper-I Speed Test	Hindi	5 Minutes	25	20	22.5
		English	5 Minutes	25		
2	Paper-II Efficiency Test	-	10 Minutes	50	20	22.5

(2) **गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि (Method of Conducting Speed & Efficiency Test) :-**

i. The font for Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "CALIBRI" for English.

ii. Minimum Speed should be 8000 key depressions per hour on computer. Data will have to be fed in dual language, i.e. English and Hindi.

iii. Efficiency Test may be taken on word processing software. It shall include formatting of Test, Paragraph, Page & Table using proper methods and formatting of letters.

Note:-

(i) Merit list of successful candidates for selection shall be prepared on the basis of Total Aggregate Marks obtained in Written Test and Type-Writing Test on Computer (Speed & Efficiency Test).

(ii) Those candidates who secure minimum 45% marks and 40% marks in case of Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Specially Abled Persons candidates in the written test shall be eligible for appearing in the type writing test on computer, subject to the extent of **5 times of the number of vacancies (Category-wise)** but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included."

(iii) No candidate who fails to secure 50% in the aggregate with at least 40% marks in case of Scheduled Caste / Scheduled Tribes & Specially Abled persons and 45% marks in case of all other categories, in each test, at the competitive examination shall be selected.

(iv) The general suitability for service of the candidates securing equal total aggregate marks in Written Test and Type Writing Test on Computer shall be determined on the basis of having regard to age i.e. the candidate, elder in age shall be given higher place in merit.

(v) Persons with Benchmark Disabilities shall be provided relaxation from the Type-Writing Test on Computer and they shall be awarded marks in Computer Test on the basis of average marks obtained by them in the Written Test. **However, if any such candidate voluntarily opts in his online application, to appear in the Type-Writing Test on computer, he shall be allowed to appear in such test.**

15- **ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)–**

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट www.hcraj.nic.in को नियमित रूप से देखते रहें।

16- **आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit to Apply)** :–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा	30.03.2020 (सोमवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 27.04.2020 (सोमवार) को सांय 05:00 बजे तक।
2.	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	30.03.2020 (सोमवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 28.04.2020 (मंगलवार) को रात्रि 11:59 बजे तक।

19.3.2020

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) **करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। **ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।**

17- आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।**
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

18- परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, Month and Date of Examination) :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालयों पर भी आयोजित की जा सकेगी। **आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लिखित परीक्षा एक से अधिक पारियों में भी आयोजित की जा सकेगी।** परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक् से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटन एवं उसमें परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

19- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate):–

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

20- प्रवेश–पत्र (Admission Card) :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **प्रवेश–पत्र वेबसाईट** http://www.hcraj.nic.in पर Upload किये जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा।** परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।**

21- अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):–

(1) लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न–पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेंगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।

(2) **''राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006'', के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।**

(3) अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

19.3.2020

(4) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।

(5) प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेब साईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।

(6) **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आये। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुऐं, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।**

(7) **जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) ले जाने/रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।**

(8) **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

(9) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/महिला/विधवा/परित्यक्ता (तलाकशुदा)/उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

(10) **<u>अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means)</u>**:– परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।

(11) **<u>अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment by irregular or Improper Means)</u>**:– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से और सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

(12) **<u>संयाचना (Canvassing)</u>**:– नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिष पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

<u>हैल्प लाईन (Help Line)</u> :–

ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान (**During Office Hours**) सम्पर्क करें।

<u>उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।</u>

19.3.2020

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

(संलग्नक – 1)

राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

TOTAL VACANCIES	GEN/UR				Total Gen/UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION PD							Total
	UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
268	70	20	7	2	99	19	5	2	0	26	30	8	3	1	42	23	6	2	1	32	40	11	4	1	56	10	2	1	0	13	3	2	2	0	3	33	5	48
268					**99**					**26**					**42**					**32**					**56**					**13**								**48**

19.3.2020

(संलग्नक – 2)

राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपिक ग्रेड -II की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

TOTAL VACANCIES	GEN/UR				Total Gen/UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																															PD							
	UR	F	W	D		EWS	F	W	D		ST	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
8	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8					6					0					1					0					1					0								1

19.3.2020

(संलग्नक – 3)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

TOTAL VACANCIES	GEN/UR				Total Gen/ UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																															PD							
	UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/H	LD	AUT	MD	ES	OSP	
18	10	4	0	0	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18					**14**					**0**					**1**					**1**					**0**					**2**								**0**

19.3.2020

(संलग्नक – 4)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–II की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GEN/UR				Total Gen/UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		PD					ES	OSP	
																																	B/LV	D/HH	LD	AUT	MD			
1	AJMER	76	22	7	2	1	32	5	2	0	0	7	10	3	1	0	14	14	5	1	0	20	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	1	1	0	0	9	1	13
2	ALWAR	87	24	7	3	1	35	6	2	1	0	9	9	3	1	0	13	6	1	1	0	8	13	3	1	1	18	3	1	0	0	4	1	1	1	0	0	11	2	16
3	BALOTRA	51	27	8	3	0	38	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	6	1	9
4	BARAN	19	7	2	1	0	10	1	0	0	0	1	3	1	0	0	4	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	28	6	2	0	0	8	2	1	0	0	3	4	1	0	0	5	3	1	0	0	4	4	2	0	0	6	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	4
6	BHILWARA	57	17	5	2	0	24	3	1	1	0	5	6	2	1	0	9	4	1	1	0	6	8	2	1	0	11	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	7	1	11
7	BIKANER	29	9	2	1	0	12	2	1	0	0	3	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	5	1	0	0	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
8	BUNDI	25	6	2	1	0	9	2	1	0	0	3	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	3	2	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
9	CHITTORGARH	37	2	1	0	0	3	8	2	1	0	11	6	1	1	0	8	4	1	1	0	6	2	1	0	0	3	4	1	1	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2
10	CHURU	25	12	3	2	0	17	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	4
11	DAUSA	16	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	5	2	0	0	7	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
12	DHOLPUR	23	0	1	0	0	1	3	2	1	0	6	0	2	2	0	4	0	0	1	0	1	5	3	0	0	8	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	8	1	10
13	HANUMANGARH	16	7	2	1	0	10	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO	10	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAIPUR DISTRICT	63	17	5	2	0	24	5	1	0	0	6	7	2	1	0	10	5	2	0	0	7	10	2	1	0	13	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	2
16	JAISALMER	11	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JALORE	31	3	1	0	0	4	4	2	0	0	6	2	1	0	0	3	4	2	0	0	6	7	2	0	0	9	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	2	1	4
18	JHALAWAR	27	10	2	0	0	12	2	0	0	0	2	3	1	0	0	4	3	0	0	0	3	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
19	JHUNJHUNU	19	1	0	0	0	1	3	1	0	0	4	3	1	0	0	4	2	0	0	0	2	4	1	0	0	5	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JODHPUR METRO	27	7	1	0	0	8	2	0	0	0	2	4	2	0	0	6	7	3	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
21	JODHPUR DISTRICT	31	10	3	0	0	13	3	0	0	0	3	4	1	0	0	5	3	0	0	0	3	6	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARAULI	12	5	1	0	0	6	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4
23	KOTA	42	13	3	1	0	17	4	0	0	0	4	5	1	0	0	6	4	1	0	0	5	7	1	0	0	8	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5	0	6
24	MERTA	24	0	0	0	0	0	8	2	1	0	11	1	2	1	0	4	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	2
25	PALI	39	11	3	1	0	15	3	1	0	0	4	5	1	0	0	6	4	1	0	0	5	5	2	0	0	7	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1
26	RAJSAMAND	31	9	4	2	0	15	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4	3	0	0	0	3	6	1	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAWAI MADHOPUR	15	6	2	0	0	8	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIKAR	48	12	5	0	0	17	3	2	0	0	5	6	2	0	0	8	4	2	0	0	6	7	3	0	0	10	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2
29	SIROHI	11	5	1	0	0	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	GANGANAGAR	34	9	3	1	0	13	3	1	0	0	4	2	0	0	0	2	4	2	0	0	6	5	2	0	0	7	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TONK	22	4	1	0	0	5	5	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	7	2	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	3
32	UDAIPUR	70	13	4	1	0	18	5	2	0	0	7	8	3	1	0	12	6	2	1	0	9	15	4	1	1	21	2	1	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	5
	TOTAL	**1056**					**391**					**133**					**157**					**133**					**183**					**59**								**107**

19.3.2020

(संलग्नक – 5)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड–II की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण (जिला–न्यायक्षेत्र वार एवं वर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	GEN/UR				Total Gen/ UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																	PD							
			UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PRATAPGARH	13	4	1	1	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	23	5	2	0	0	7	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	9	3	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	DUNGARPUR	23	5	1	0	0	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	12	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**61**					**20**					**3**					**3**					**35**					**0**					**0**								**1**

(संलग्नक – 6)

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों एवं तालुका विधिक सेवा समिति सहित) में कनिष्ठ सहायक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

(जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	DLSA+ TLSC+ PLA	DLSA	TLSC	PLA	GEN/UR				Total Gen/ UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																				PD							
						UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
1	AJMER	12	3	7	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ALWAR	13	2	9	2	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BALOTRA	6	2	2	2	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BARAN	14	7	7	0	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BHARATPUR	14	6	7	1	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BHILWARA	13	1	9	3	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BIKANER	10	3	5	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BUNDI	9	3	6	0	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CHITTORGARH	18	7	8	3	4	2	0	0	6	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CHURU	14	7	5	2	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DAUSA	14	8	4	2	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DHOLPUR	6	2	2	2	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	HANUMANGARH	15	7	6	2	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JAIPUR METRO	4	1	2	1	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	JAIPUR DISTRICT	9	1	6	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	JAISALMER	2	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	JALORE	4	1	3	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	JHALAWAR	12	5	5	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19	JHUNJHUNU	6	1	5	0	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JODHPUR METRO	5	3	0	2	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR DISTRICT	6	1	5	0	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARAULI	3	0	3	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KOTA	12	5	5	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	MERTA	13	2	9	2	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PALI	18	8	7	3	4	2	0	0	6	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RAJSAMAND	14	8	6	0	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SAWAI MADHOPUR	12	8	4	0	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	SIKAR	9	1	6	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	SIROHI	9	2	5	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	GANGANAGAR	13	2	8	3	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TONK	6	1	5	0	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UDAIPUR	18	6	10	2	4	2	0	0	6	2	0	0	0	2	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	3	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	333	115	172	46					146					26					43					31					70					17								0

19.3.2020

(संलग्नक – 7)

अनुसूचित क्षेत्र (TSP Areas)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (स्थायी लोक अदालतों एवं तालुका विधिक सेवा समिति सहित) में कनिष्ठ सहायक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण

(जिला–न्यायक्षेत्रवार एवं प्रवर्गवार)

S.NO.	NAME OF JUDGESHIP	TOTAL VACANCIES	DLSA	TLSC	PLA	GEN/UR				Total Gen/UR	EWS				Total EWS	SC				Total SC	ST				Total ST	OBC				Total OBC	MBC				Total MBC	HORIZONTAL RESERVATION							Total
																																				PD							
						UR	F	W	D		EWS	F	W	D		SC	F	W	D		ST	F	W	D		OBC	F	W	D		MBC	F	W	D		B/LV	D/HH	LD	AUT	MD	ES	OSP	
1	ABU ROAD BLOCK (SIROHI)	0								0					0					0					0					0					0								0
2	PRATAPGARH	6	2	2	2	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BANSWARA	7	3	4	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DUNGARPUR	3	0	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**16**	**5**	**9**	**2**					**9**					**0**					**0**					**7**					**0**					**0**								**0**

नोटः–संलग्नकों में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द–रूपों की वृहद् शब्दावली

F - Female (महिला)
D - Divorcee Woman (विच्छिन्न विवाह महिला)
W - Widow (विधवा)
PD - Persons with Disabilities (दिव्यांगजन)
B/LV - Blind & Low Vision (अन्धता और निम्न दृश्यता)
D/HH - Deaf & Hard of Hearing (बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है)
LD - Locomotor Disability (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकार है)
AUT - Autism (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)
MD - Multiple Disabilities (उक्त दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अन्धता है)
GEN/UR - General/Un-Reserved (सामान्य/अनारक्षित)
SC - Schedule Caste (अनुसूचित जाति)
ST - Schedule Tribes (अनुसूचित जनजाति)
OBC - Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग)
MBC - More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
EWS - Economic Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
OSP - Outstanding Sports Person (उत्कृष्ट खिलाड़ी)
ES - Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक)

19.3.2020